न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:–312/2022 दायर दिनांक:–26.12.2022

जीसीएमएस नं. 2022/793

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र रामखिलाडी उम्र 51 साल
2. रामखिलाडी पुत्र द्वारकाप्रसाद उम्र 83 साल
3. सतीशचंद पुत्र रामखिलाडी उम्र 53 साल

} जाति ब्राह्मण निवासी नगला बृजलाल तहसील बयाना हाल निवासी कैसर कोलोनी हिण्डौन जिला करौली राज0

————सायलान–03

बनाम

1. कैलाशचंद उर्फ कैलाशी उम्र 50 साल पुत्र फौदी
2. धीरू उम्र 42 साल पुत्र लच्छो

} जाति जाट निवासी क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन सिटी

3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर

————गैरसायलान–03

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–1. श्री शाहिद अली अधिवक्ता वादीगण

2. पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः– 5-11-24

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा न0 1455/1181 रकबा 0.10 है0, 1457/1182 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन, जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजीयात के सायलान रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध या सरोकार नहीं है।

गैरसायलान झगडालू प्रवृति के भूमाफिया किस्म के लठैत व्यक्ति है, जिनका एक नाजायज गिरोह बना हुआ है, जो आये दिन गरीब, असहाय लोगों की भूमियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर पुनः निर्माण करने की फिराक में रहते है जबकि सायलान सीधे–सीधे व्यक्ति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:32 IST
Reason: SelfAttested

बाका दिनांक 25.12.2022 को समय सुबह 9 [illegible] का है, सायलान अपने काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि वर्णित मद नम्बर 1 वादपत्र में दर्ज की देखभाल कर रहे थे तो इतने में ही गैरसायलान एवं 15–20 अन्य लोगो को अपने साथ मय

मजदूरों व मय जेसीबी के हाथो में फावडा, गैंती, लाठी डंडा लेकर वादीगण के कब्जा काश्त की उक्त भूमि मे आ धमके और आते ही अवैध रूप से नींव खोदने पर लगे तब सायलान ने हाथ जोडकर निवेदन किया कि भाईयों ये क्या कर रहे हो ये भूमि तो हमारी खातेदारी की भमि है, इस पर हमारा कब्जा है, तुम्हारा इस भूमि से क्या लेना देना है तो इस बात से गैरसायलान एकदम लाल-ताते हो गये और सायलान के साथ झगडा करने पर आमदा हुये, हाय हल्ला सुनकर आम राहगीर आ गये जिन्होने एवं सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाया कि भाईयों यह भूमि तो सायलान के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि है, तुम इस भूमि पर क्यों विवाद करते हो परन्तु गैरसायलान एवं उसके राहागीरों ने किसी की एक भी नही मानी बल्कि ऐलानियों धमकी दीनी की आईन्दा इन खेतो की तरफ तुम लोग आये तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने पडेगें, तथा यहा पर हमारा बांसकोट चलता है और बांसकोट के बल पर तुम्हारे कब्जाकाश्त की उक्त भूमि मे अवैध कब्जा करके पक्का निर्माण करके ही रहेगे। इस प्रकार अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो सायलान को काफी क्षति होगी।

प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा पांबद फरमाया जाने का निवेदन किया है कि गैरसायलान सायलान के कब्जा काश्त व खातेदारी भूमि खसरा न0 1455/1181 रकबा 0.10 है0, 1457/1182 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली मे सायलान के कब्जाकाश्त में मजामहत, मदाखलत उत्पन्न नहीं करे उसे शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे, मौके से बेदखल नहीं करे, अवैध कब्जा कर कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, भूमि को खुर्द-बुर्द नहीं करें, नाकाबिल काश्त नहीं बनावे, गड्डे नहीं करे, तथा ऐसा कोई कार्य न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिससे वादीगण के हक हकूकों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकुल प्रभाव पडे। तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। सायलान को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:32 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान को जरिये तामील तरवा किया। गैरसायलान नं0 1 ता 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 15.03.20[illegible] से गैरसायलान सं0 1 व 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। गैरसायलान न0 2 की ओर से दिनांक 15.04.2024 को श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 287, वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन, नक्शा ट्रैस, प्रमाणित नकल फर्द मौका हल्का पटवारी क्यारदा खुर्द दिनांक 03.06.2022 पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि उक्त विवादित आराजी खातेदारी भूमि खसरा न0 1455/1181 रकबा 0.10 है0, 1457/1182 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली मे सायलान के कब्जाकाश्त में मजामहत, मदाखलत उत्पन्न नहीं करे, उसे शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, मौके से बेदखल नहीं करे, अवैध कब्जा कर कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करें, नाकाबिल काश्त नहीं बनावे, गड्डे नही करे, तथा ऐसा कोई कार्य न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिससे वादीगण के हक हकूकों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकुल प्रभाव पडे। तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। सायलान को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देने का निवेदन किया है। एवं गैरसायल नं. 2 वकील द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 287, वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन, का सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर गैरसायलानो के कब्जे के होने बावत तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण पैमाईश कराने से संबंधित है। जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना [illegible] न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का [illegible] व अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है। [illegible] में सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य [illegible] न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण

खारिज किया जाता है । खसरा न0 1455/1181, 1457/1182 वाके ग्राम क्यारदा खुर्द में मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने संबंधी जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 26.12.2022 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:32 IST
Reason: SelfAttested